

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमती टीना पुरोहित व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), राउमावि कलिंजरा, बागीदौरा, बांसवाडा के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 8A में अभिलिखित प्रावधानानुसार एवं वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक – F.1(3)FD(Rules)/2017 दिनांक 15.02.2018 में जारी निर्देशानुसार निर्धारित कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर अपना परिवर्तित उपनाम श्रीमती टीना उपाध्याय रखा है।

श्रीमती टीना पुरोहित व्याख्याता (राजनीति विज्ञान), राउमावि कलिंजरा, बागीदौरा, बांसवाडा के राजकीय सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में इनका नाम टीना पुरोहित के स्थान पर टीना उपाध्याय करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में श्रीमती टीना पुरोहित प्राध्यापक राजनीति विज्ञान से सम्बन्धित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम टीना उपाध्याय सम्बोधित/जारी किये जावें।


(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था-6/रावि/नाम परिवर्तन/2018/186

दिनांक : - 17/12/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. सहायक निदेशक वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ओएसी प्रभाग कार्यालय हाजा।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. संबंधित संस्था प्रधान.....।
6. संबंधित कार्मिक.....।
7. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर